

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

नं० 105 / 2024

तारीख रजू :- 5.07.2024

प्रार्थना पत्र बाबत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा

आई0डी0 नम्बर 2024/285

उनवान

न हरदयाल जाति जाटव निवासी मुण्डाकापुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—सायलान—09

बनाम

त्र दिलसुख जाति जाटव निवासी मुण्डाकापुरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—गैरसायल—04

दिनांक	फर्द अहकाम
07.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र सायलान की ओर से श्री रणजीत सिंह एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.08.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(हेमसज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
13 <sup>8</sup> / <sub>24</sub>	<p>पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्यालय स्थान किया गया है अतः पत्रावली पूर्वदिनांकानुसार दिनांक 12-12-24.....को पेश हो।</p>
12 <sup>13</sup> / <sub>24</sub>	<p>पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्यालय स्थान किया गया है अतः पत्रावली पूर्वदिनांकानुसार दिनांक.....को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">13-3-25</p>
	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">30/10/24</p>
30 <sup>10</sup> / <sub>25</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने पर भी सायल एवं उनके अधिवक्ता उप. नहीं हुए। अतः मु. नं. 105/2024 उनवान गीता बनाम भारत प्रार्थना पत्र बाबत अस्माइ निषेधाज्ञा अदम्य पैरवी अदम्य ठमिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल नुमार होकर बाद तम्हील नं. से कम की जाकर मूल रते के साथ शामिल मिसल रहे।</p>
	<p>अदम्य युवे न्यायालय में सुनाया गया।</p>